

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

कमांक 1/11/अन्वें./पांच/2015/22348,

इन्दौर, दिनांक 28/7/2023

संशोधन अधिसूचना

इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना कमांक 10368-618 दिनांक 31.03.2023 द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन दरों की अधिसूचना अनुसूचियों सहित जारी की गई है।

अधिसूचना के संलग्न "अनुसूची-स" (पृ.क.15), "अनुसूची-क" (पृ.क.16) एवं "अनुसूची-द" (पृ.क.19) में अंकित दिनांक त्रुटिपूर्ण होने के फलस्वरूप निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

(1) अनुसूची-स (पृ.क.15) -

अनुसूची-स के कॉलम 9 से 15 के उपर अंकित "दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक" के स्थान पर "दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक" पढा जावे।

(2) अनुसूची-क (पृ.क.16) -


अनुसूची-क के कॉलम 1 से 7 के उपर अंकित "दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2022 तक" के स्थान पर "दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक" तथा कॉलम 9 से 15 के उपर अंकित "दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक" के स्थान पर "दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक" पढा जावे।

(3) अनुसूची-द (पृ.क.19) -

अनुसूची-द के कॉलम 9 से 15 के उपर अंकित "दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक" के स्थान पर "दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक" पढा जावे।

उक्तानुसार पूर्व में जारी अनुसूचियों में प्रदर्शित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की मासिक/दैनिक दरें एवं शर्तें यथावत रहेगी।

उक्तानुसार अनुसूची-स, अनुसूची-क तथा अनुसूची-द की संशोधित प्रतियां संलग्न है।



उप श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

कमांक 1/11/अन्वें./पांच/2015/22349-598,

इन्दौर, दिनांक 28/7/2023

प्रति,

- 1- समस्त संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- आई.टी.शाखा, मुख्यालय, इन्दौर की ओर पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


उप श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

अनुसूची - स (संशोधित)


किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तन शील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपयों में राउण्ड अप कर दैनिक दर	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	कर्मचारियों का वर्ग	परिवर्तन शील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपयों में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
लिपिकिय वर्ग								
6500.00	324.42	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00	अकुशल	6500.00
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	श्रेणी एक	8435.00
7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00	श्रेणी दो	7057.00
9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00	उच्च कुशल	9735.00
9685.00	372.50	3125.00	120.19	12810.00	492.69	493.00	कुशल श्रेणी	9685.00
9378.00	360.69	3125.00	120.19	12503.00	480.88	481.00	श्रेणी दो	9378.00
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	श्रेणी तीन	8435.00
अर्द्धकुशल श्रमिक								
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	श्रेणी एक	8435.00
7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00	श्रेणी दो	7057.00
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक								
371.15	9650	121.15	3150	324.42	3150	121.15	9650	371.15
457.12	11885	132.69	3450	324.42	3450	132.69	11885	457.12
404.12	10507	132.69	3450	271.42	3450	132.69	10507	404.12
507.12	13185	132.69	3450	374.42	3450	132.69	13185	507.12
505.19	13135	132.69	3450	372.50	3450	132.69	13135	505.19
493.38	12828	132.69	3450	360.69	3450	132.69	12828	493.38
457.12	11885	132.69	3450	324.42	3450	132.69	11885	457.12
अर्द्धकुशल श्रमिक								
457.12	11885	132.69	3450	324.42	3450	132.69	11885	457.12
404.12	10507	132.69	3450	271.42	3450	132.69	10507	404.12

स्पष्टीकरण-

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपयों के गुणांक को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 के अनुसार 50 पैसे से अधिक पैसे हो तो, उन्हें आगे उच्चतर रूपयों में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्षा मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो आधर आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपमोक्षा मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो
- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1-ए))


उप श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

अनुसूची - द (सशोधित)

न्यूनतम वेतन की दरें		मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूप्यों में)		कृषि में नियोजन		रूपये में									
न्यूनतम वेतन की दरें		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में	राउण्ड अप कर दैनिक दरें								
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5350.00	178.33	2034.00	67.80	7384.00	246.13	246.00	अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	2304	76.80	7654	255.13	255	
		दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक						प्रतिमाह		प्रतिदिन		प्रतिमाह		प्रतिदिन	
		दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक						प्रतिमाह		प्रतिदिन		प्रतिमाह		प्रतिदिन	

स्पष्टीकरण- परिवर्तनशील महंगाई भत्ता :-

- (1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मुल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आकड़ों के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 06 रुपये (छः रुपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में ऐसे तथा रुपये के गुणांक को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल पभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की दरों से कम राशि (1) के खण्ड (ख) के किसी भी द II में कम नहीं की जावेगी। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा, 1948 की धारा 12 (1-ए))
- (5) इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
- (6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

उप श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर